समक्ष श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका कमांक :– निगरानी–4006/2018/जबलपुर/भू.रा

पुनरीक्षणकर्ता:– रमेश सिंह पिता श्री दुलीचंद्र, उम्र लगभग 62 वर्ष, जाति – मर्सकोले, निवासी – गोरहा तालाब गढ़ा, थाना – संजीवनी नगर, जिला – जबलपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

प्रत्यार्थी:– विजय कुमार पटेल पिता श्री कंधीलाल पटेल, उम्र – नामालूम, निवासी – पोस्ट मगरमुहा, तहसील – पाटन, जिला जबलपुर (म0प्र0)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता, विद्वान तहसीलदार महोदय गढ़ा/गोरखपुर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक /501/बी–121/2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24/05/2018 से व्यथित होकर श्रीमान् के समक्ष वर्तमान पुरीक्षण याचिका निम्नलिखति तथ्यों एवं अन्य के अतिरिक्त आधारो पर प्रस्तुत की जाती है ।

तथ्य

1 यह कि, प्रत्यार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांकित 21/05/2018 वास्ते अवैध निर्माण कार्य रूकवाये जाने वावद, विद्वान तहसीलदार महोदय गढ़ा/गोरखपुर, जिला –जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि राजस्व प्रकरण कमांक /501/बी–121/2017–18 के रूप में पंजीबद्ध किया गया ।

2 यह कि, उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रत्यार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रत्यार्थी की भूमि ग्राम पुरवा, प0ह0नं0 28/33 रा0नि0म0 जबलपुर ख0नं0 258, 259, 260, 412/1, 412/6, 412/7, 264/7, 261, 262, 263 एवं 264 रकवा 1500 वर्गफुट जिसपर प्रत्यार्थि का नाम राजस्व रिकार्ड पर दर्ज है, पर अबैध रूप से बलपूर्वक कब्जा कर उसपर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4006/2018 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय सेन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गढ़ा/गोरखपुर जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 501/बी–121/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 24.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार गोरखपुर जिला जबलपुर द्वारा हल्का पटवारी द्वारा ग्राम पुरवा प.ह.न. 28/33 स्थित खसरा नम्बर 258, 259, 260, 412/1, 412/6, 412/7, 261, 262, 263, एवं 254 रकवा 1500 वर्गफुट भूमि जो अनावेदक के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसकी जांच कराई गई जिसमें आवेदक रमेश द्वारा अतिक्रमण किया गया है। विवाद की स्थिति न बने इसलिये तहसीलदार द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 24.5.18 स्थिर रखे जाने योग्य है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गढ़ा/गोरखपुर जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 501/बी–121/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 24.5.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। सदस्य	